

कार्यवाही विवरण

अनुपालना के क्रमांक व दिनांक

19/5

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के द्वारा
खिलो का पुर्नगठन करने पर पत्रावली उपखण्ड उदयपुरवादी
से स्थानांतरित होकर प्रमाण हुई है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर
बास्ते उचित कार्यवाही पत्रावली दिनांक 30/6/23 को पेश हो।

20/6

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के द्वारा
खिलो का पुर्नगठन करने पर पत्रावली उपखण्ड उदयपुरवादी
से स्थानांतरित होकर प्रमाण हुई है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर
बास्ते उचित कार्यवाही पत्रावली दिनांक 30/6/23 को पेश हो।

(राज्य सरकार) विभाग अधिसूचना जयपुर, अगस्त 2023
संख्या प.9 (18) राज-1 (18) राज-1/2022-23
द्वारा पुर्नगठित बुन्देलखण्ड जिले में तहसील मुढ़ा गौड़जी को
उपखण्ड बुन्देलखण्ड में सम्मिलित करने पर तहसील क्षेत्र
मुढ़ा गौड़जी की पत्रावलियां न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
बुन्देलखण्ड में स्थानांतरित की जाती है।

20/11/23

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के द्वारा
खिलो का पुर्नगठन करने पर पत्रावली उपखण्ड उदयपुरवादी
से स्थानांतरित होकर प्रमाण हुई है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर
बास्ते उचित कार्यवाही पत्रावली दिनांक 30/6/23 को पेश हो।

19.1.24 जा.पत्र फिलाल तालकी व विडों का फेश
कर पाथी न मसवाद को नोट डेस नोट डेस
कर लिखा है। अतः इस जा.पत्र कस्यार्डि न 2210
निवेदना को आगे चलाना अपेक्षित नहीं
है। पत्रावली नोट डेस में खारिज की
जाती है। पत्रावली फिलाल बुमार के
नम्बर से कप हो तथा फालिस 54व (क)

उपखण्ड अधिकारी
बुन्देलखण्ड (राज.)

